न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

अपील संख्याः 2022/02 दायर दिनांक 09.02.2022

अपीलार्थी **बनाम्** **प्रत्यर्थीगण**

1. हुसैन खां पुत्र अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द
2. राज्य सरकार जरिये ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडवाना
3. भंवरू खां पुत्र अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर
4. भंवरी बानों पत्नी हबीब खां जाति कायमखानी निवासी दुकोसी तहसील व जिला नागौर
5. जैतुन बानों पत्नी रमजान खां जाति कायमखानी निवासी गढ मस्जिद के पास होली धौरा सुजानगढ जिला चुरू
6. अयूब खां पुत्र अस्त अली खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर
7. रहीसा बानों पत्नी नूर मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी निम्बी कंला तहसील डीडवाना जिला नार्गोर
8. अलहमदों बानों पत्नी ईब्राहीम खां जाति कायमखानी निवासी जनाना अस्पताल के पास हौली धैरा सुजानगढ जिला चुरू
9. गुलशन बानों पत्नी खांन मोहम्मद खां जाति कायमखानी निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 07.01.2008 जो कि वाके सरहद छापरी खुर्द में स्थित खसरा सं0 86 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा भुमि के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा भरा गया।

उपस्थित :–

1. श्री मुस्ताक खां वकील अपीलांट।
2. श्री अशोक कुमार भाकर वकील प्रत्यर्थी 02
3. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील प्रत्यर्थी सं0 03 ता 09

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.04.2022

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 09 स्व0 अस्तअली खां पुत्र ईस्माईल खां उर्फ सबदल खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द की जायन्दा सन्ताने व विधिक वारिसान है। स्व0 अस्तअली खां की पत्नी श्रीमती मांगी बानू का स्वर्गवास दिनांक 29.03.2012 को ही हो चुका है। श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अपने पत्रांक स्था/चिकि/राजप/07/2441–42 दिनांक 07.12.2007 के जरिये प्रत्यर्थी सं0 02 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडवाना को ग्राम छापरी खुर्द में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द के भवन बनाने बाबत भूमि की व्यवस्था करने हेतु एक पत्र लिखा। उक्त पत्र की पालना में प्रत्यर्थी सं0 02 ग्राम छापरी खुर्द में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द का भवन बनाने बाबत भूमि की व्यवस्था हेतु आये और गांव के आसपास के क्षेत्र में चार बीघा भुमि राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर ग्रामवासियों को ईकटठा कर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द के भवन बाबत भूमि की व्यवस्था करने को कहा। जिस पर उस समय मौजुद ग्रामवासियों व प्रत्यर्थी सं0 02 के आग्रह पर स्व0 अस्तअली खां ने अपनी निजी एकल खातेदारी की भूमि वाके सरहद छापरी खुर्द में स्थित खसरा सं0 86 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा भूमि को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाने हेतु दान में देना तय हुआ। दिनांक 31.12.2007 को स्व0 अस्तअली खां ने वाके सरहद छापरी खुर्द में स्थित अपने खसरा सं0 86 रकबा 10.01 बीघा में से 04 बीघा भूमि को जरिये दान पत्र बख्शीशनामा के वास्ते राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द के भवन के प्रयाजनार्थ दान पत्र निष्पादित किया गया। उक्त 04 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 07.01.2008 के द्वारा राजकीय प्राथमिक छापरी खुर्द के नाम नये खसरा सं0 262/84 दर्ज हुए। जो कि वर्तमान खतौनी में नये खसरा सं0 181 रकबा 0.6500 हैक्टयर के रूप में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द के नाम दर्ज है। उक्त [illegible] 203/07.01.2008 निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

अपील के आधार

योग्य अधिनस्थ सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में न्याय के सामन्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः उक्त नामान्तरकरण अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

योग्य अधिनस्थ सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में घोर वैधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः उक्त नामान्तरकरण अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

योग्य अधिनस्थ सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचना ना करते हुये उक्त आदेश पारित किया है। अतः उक्त नामान्तरकरण अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त दान पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा प्रत्यर्थी सं0 02 का कतई ना रहकर स्व0 अस्त अली खां की जीवनकाल में स्व0 अस्तअली खां के साथ साथ उनके वारिसान का व तत्पश्चात दिनांक 26.04.2016 को उनका देहान्त हो जाने पर उनके वारिसान अपीलान्ट व प्रत्यर्थीगण सं0 03 से 09 तक का ही निर्बाध रूप से आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त दान पत्र के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण मौके की स्थिति के विपरित हाने से अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

उक्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द के लिए ही दिनांक 30.04.2018 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर ने ग्राम सरदारपुंरा कंला के खसरा सं0 71 रकबा 185 बीघा गै0मु0 गौचर भूमि में से 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जो कि खसरा सं0 484/71 रकबा 03.15 बीघा गै0मु0 स्वास्थ्य केन्द्र दर्ज किया गया। जो कि वर्तमान खतौनी संवत 2074/2077 में खसरा सं0 601/120 रकबा 0.6070 हैक्टयर गै0मु0 स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द सरदारपुरा कलां चिकित्सा विभाग के नाम से दर्ज है। अतः उक्त नामान्तरकरण अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

उक्त राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी [illegible] का निर्माण किया जाकर उक्त नवनिर्मित भवन का लोकार्पण दिनांक [illegible] को किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

गया है। जिसके कारण से स्व0 अस्त अली खां द्वारा अपने जीवनकाल में गांव वालों के आग्रह पर जिस प्रयोजन के लिए अपनी भूमि दान दी थी उक्त प्रयोजन उक्त भूमि के लहजे से समाप्त हो चुका होने से स्व0 अस्तअली खां द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त प्रयोजन बाबत दान दी गई भूमि का दान–पत्र बख्शीशनामा निरस्त होने योग्य होने से अपीलान्ट ने दिनांक 20.01.2022 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो अपीलान्ट को पता चला कि उक्त भूमि में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि उक्त प्रयोजन अन्य भूमि में पूरा हो जाने से इस दान पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व प्रति अपीलांट संख्या 03 से 09 तक का नाम दर्ज होना चाहिए था जिस पर अपीलांट ने उसी दिन प्रत्यर्थी सं0 02 के कार्यालय में सम्पर्क किया और उक्त दान भूमि बाबत प्रयोजन की समाप्ति बाबत कहातो प्रत्यर्थी संख्या 02 ने कहा कि आपके पिता स्व0 अस्तअली खां द्वारा अपने जीवनकाल में दान में दी गई भूमि में अब कोई राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बनेगा व उक्त भूमि को वापस अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए आप उचित कानूनी कार्यवाही करें अन्यथा आपको उक्त भूमि पर से बेदखल किया जा सकता है। अतः उक्त नामान्तरकरण अधीन अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर निवेदन है कि अपील बहक अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 03 से 09 विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0 01 व 02 स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामान्तरकरण सं0 203 को अधीन अपील अपास्त फरमाया जाने के आदेश सादर फरमाया जाकर अपीलांट व प्रत्यर्थी सं0 03 से 09 तक का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जाने के आदेश सादर फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर जरिये सम्मन प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अपीलांट व प्रत्यर्थी सं0 02 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार उक्त 04 बीघा भुमि को अपास्त किया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट व प्रत्यर्थी सं0 03 ता 09 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार खसरा सं0 86 रकबा 10.01 बीघा भूमि में से 04 बीघा भूमि के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत छापरी खुर्द द्वारा भरा गया को अधीन अपील अपास्त फरमाया जावें।

बहस सुनी गई। [illegible] निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 203 को अधीन अपील [illegible] व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

प्रत्यर्थी सं0 03 से 09 तक का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। उभयपक्ष नामान्तकरण संख्या 203 को अधीन अपील अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट व प्रत्यर्थी सं0 03 से 09 तक का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जाने पर सहमत है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: **आदेश** ::—

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद मौजा छापरी खुर्द तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 07.01.2008 में पारित ग्राम पंचायत छापरी खुर्द का अपीलाधीन ''स्वीकृत आदेश'' निरस्त किया जाकर खसरा सं0 181 रकबा 0.6500 हैक्टयर का नामान्तरकरण अपीलांट व प्रत्यर्थी सं0 03 से 09 के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिये जाते है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **12.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:01:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner